



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग
नई दिल्ली -110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (Hqrs.
18, INSTITUTIONAL AREA, SJS MARG
NEW DELHI-110 016
Ph. 26858570 Fax - 26514179

F.110112-52/2017-KVS(HQ)/(Wk-I)/1286-91

दिनांक: 02-04-2018

प्राचार्य,
केन्द्रीय विद्यालय,
जामनगर (गुजरात)

विषय : केन्द्रीय विद्यालय, जामनगर (गुजरात) के असुरक्षित 'बी' टाइप विद्यालय भवन के पुनः निर्माण कार्य हेतु AA&ES के अनुमोदन करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर संदर्भित मुख्य अभियंता (AF), सैन्य अभियंता सेवाएँ (वायुसेना), गांधीनगर के पत्र क्रमांक 2646/64/E2(Pig) दिनांक 20.03.2018 के द्वारा प्रेषित किए गए प्रावकलन के आधार पर रु 1559.14 करोड़ (रु. पंद्रह करोड़ उनसठ लाख चौदह हजार मात्र) के लिए सक्षम अधिकारी के. वि. सं. (मु.) की प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति एजेंसी चर्क के रूप में एदत द्वारा प्रदान की जाती है।

02. यह स्वीकृति संलग्न - I में उल्लेखित नियम एवं शर्तों एवं निर्माण अभिकरण के साथ हुए अनुबंध के साथ मान्य होगी।
03. इस कार्य हेतु अनुमोदित निर्माण इकाई सैन्य अभियंता सेवाएँ (वायुसेना), गांधीनगर को है।
04. इसके साथ उपर्युक्त कार्य के लिए रु. 20.00 लाख की प्रथम किस्त की स्वीकृति और उसे जारी करने की आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) की अनुमति भी प्रदान की जाती है।
05. रु. 20.00 लाख (बीस लाख मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट अलग से भेजा जा रहा है।
06. कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें की सभी राजस्व दस्तावेजों में भूमि का हस्तांतरण केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नाम पर अंकित कर दिया गया है। चहार दिवारी का कार्य शुरू करने से पहले (चहार दिवारी का निर्माण विषय में यदि सम्मालित है) प्रायोजित संस्था के अधिकारियों की उपस्थिति में यह सुनिश्चित कर लेवें की राजस्व दस्तावेजों में दर्ज भूमि एवं वास्तविक भूमि की सीमा एक समान हो, जाँच लें।
07. निर्माण अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य हेतु निविदा की प्रक्रिया तुरंत प्रारम्भ की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा AA&ES जारी होने के 6 माह से ज्यादा विलंब कार्य प्रारम्भ करने में न किया जाए। यदि कोई अपेक्षित अधिक विलंब निविदा प्रक्रिया में आता है तो उसे केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सक्षम वित्तीय अधिकारी की स्वीकृति हेतु निर्माण अभिकरण द्वारा भेजा जाएगा। संबन्धित अधिकारियों द्वारा समग्र प्रयास कर निविदा प्रक्रिया में विलंब को दूर करें।
08. निर्माण अभिकरण द्वारा सम्पूर्ण कार्य एकल निविदा (single tender) द्वारा संयोजन निविदा प्रणाली (composite contract system) के द्वारा किया जाएगा। निविदा को split न किया जाए जिससे कार्य में आपेक्षित विलंब से बचा जा सकता है जिससे समन्वय की समस्या भी नहीं होती है, निविदा की लागत भी कम आती है एवं services को दूसरी निविदाओं द्वारा क्रियाशील करने में विलंब होता है।

Contd...2/-

01/2

09. सभी प्रयास करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित निर्माण कार्य संस्वीकृत राशि के अंतर्गत ही यथाशीघ्र निर्धारित अवधि में पूरा किया जाए। इस संबंध में निर्माण अभिकरण से निरंतर संपर्क रखा जाए तथा निर्माण कार्य पूरा होने तक विद्यालय मोनिट्रिंग समिति कि बैठक प्रतिमाह आयोजित की जाए। बैठक के कार्यदल सभी संबंधितों को उचित कार्यवाही हेतु भेजे जाए एवं प्रत्येक माह की भौतिक व वित्तीय प्रगति रिपोर्ट व कार्य समापन लागत के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें। यदि निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में समाप्त नहीं होता है तो केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति सभी प्रामाणिकता एवं कारणों को प्रस्तुत करते हुए लेनी होनी।
10. संस्वीकृत कार्य की मासिक, भौतिक व वित्तीय प्रगति रिपोर्ट, फोटोग्राफ, मोनिट्रिंग समिति की रिपोर्ट आदि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में भेजना सुनिश्चित करें। अगली किस्तें तभी जारी की जाएगी जब आपके द्वारा विधिवत, प्रतिहस्ताक्षरित निर्धारित प्रपत्र में मासिक प्रगति रिपोर्ट 3-4 छाया चित्रों के साथ प्रस्तुत कर दी जाएगी।
11. प्रयोग कि जाने वाली सामग्री एवं कर्म-कौशल की दृष्टि से कार्य की गुणवत्ता अपेक्षित मानकों के अनुसार ही होनी चाहिए तथा quality aspects की दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जावेगा।
12. सैन्य अभियंता सेवा द्वारा यह कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ कर पूर्ण करने हेतु आग्रह किया जाए चूंकि विद्यालय भवन छात्रों हेतु असुरक्षित है एवं अस्थायी कक्षाओं की अतिशीघ्र आवश्यकता है।
13. इस निर्माण कार्य पर व्यय की गई धनराशि लेखाशीर्ष "केन्द्रीय विद्यालय संगठन, निर्माण कार्य - Under Creation of Capital Assets" के नाम में डाली जाएगी तथा अवमुक्त राशि का 78.10% (15.62 लाख) सामान्य वर्ग, 7.10% (1.42 लाख) SC वर्ग एवं 14.80(2.96 लाख) ST वर्ग के नाम से बुक किया जाएगा।

भवदीय,

(इंजी. वी.बी.एस. पचौरी)
अधिशासी अभियन्ता

Ends:- Corrected estimate / Terms & Conditions / Work Monitoring Committee Circular/ MPR proforma /Circulars of Handing & Taking over of works /Completion Report & Final Expenditure Statement format

प्रतिलिपि :-

प्रतिलिपि :

1. मुख्य अभियंता, सैन्य अभियंता सेवा, पोस्ट ऑफिस सी आर पी एफ, लेखवाड़ा पटिया, छिलोडा, गांधीनगर (गुजरात) 382042 -1
2. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, अहमदाबाद संभाग।
3. कमांडर वर्क्स इंजीनियर (वायु सेना), सैन्य अभियंता सेवा, वायु सेना छावनी, जामनगर- 361003.
4. लेखा अनुभाग (1 प्रतिलिपि) सूचनार्थ हेतु।
5. ई.सी.आर।

(इंजी. वी.बी.एस. पचौरी)
अधिशासी अभियन्ता